

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 028/2023 (GCMS 2023/88)	दायर दिनांक 10.03.2023	निर्णय दिनांक 28.03.2023
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

संजय कुमार पिता लालचन्द छाबडा निवासी छाबडा भवन हाट चौक रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
(मोबाईल 9414377226)

अपीलार्थी**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

प्रत्यर्थी**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005****--:: निर्णय ::--**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 20.01.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./028/2023 (सू.अ.)(28.03.2023)/212 दिनांक 10.03.2023 से अपील मेमो



एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 28.03.2023 को अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहें एवं उनके प्रतिनिधि हाजिर आये एवं वांछित सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत कराया। अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा से किसी भी प्रकार से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त नहीं हुये हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा से अपील अपीलार्थी के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर/खण्डन प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर



उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रावतभाटा द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है जो कि अधिनियम 2005 के प्रावधित तहत उचित नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वांछित सूचना अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा से निःशुल्क दिलवाई जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 20.01.2023 जो कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2023 से वांछित सूचना 10 दिवस में निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावे एवं पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **28.03.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)